In,

**The court of Sub-Judge-IInd, Patna City**

**Ex-03/2014**

TP.S 370/11

| | |
|---|---|
| **11/04/2022** | वादी प्रतिवादी सं०—01 से 13 की ओर से हाजरी दी गई है। वादी तथा प्रतिवादी सं०—01 से 13 के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए।<br>वादी के विद्वान अधिवक्ता बाद को संचालित कर निवेदन करते है कि इस वाद के प्रतिवादी सं०—23 की मृत्यु दिनांक 28/09/2014 को हो गयी थी। वादी की ओर से हस्त लिखित शपथयुक्त आवेदन पत्र दिनांक 28/11/2014 को दाखिल किया गया था। लेकिन वाद में उक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी तथा वाद विविध अपील में चला गया जो 2019 में वापस आया। इसके बाद वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापन पत्र के लगायत में एक आवेदन पत्र दिनाक 11/02/2020 को दाखिल किया गया है। अत: वाद पत्र से प्रतिवादी सं०—23 का नाम विलोप्ति कर उनके कानूनी वारिशानों का नाम वाद पत्र के प्रतिवादी सं०—23 के क्रम में जोड़ने का आदेश दिया जाए। प्रतिवादी सं०—1 से 13 वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि उनकी ओर से आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। क्यांकि यह अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है तथा लगायत आवेदन पत्र Limitation Barred है तथा Suit is abated against Defendant No.-23.<br>वादी तथा प्रतिवादी सं०—01 से 13 के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता होता है कि प्रतिवादी सं०—23 की मृत्यु 28/09/2014 को हो गई थी। तथा वादी की ओर से दिनांक 28/11/2014 को आवेदन पत्र दाखिल किया गया। जिसका उल्लेख आदेश फलक में भी है, लेकिन मूल आवेदन पत्र अभिलेख के साथ संलग्न नहीं है। परंतु आवेदन पत्र की दुसरी कॉपी शपथ—पत्र के साथ संलग्न है। जिससे प्रतीत होता है कि दाखिल आवेदन पत्र समय सीमा के अन्तर्गत है।<br>अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वाद अपील में 2104 से 2019 तक रहा था। इसलिए प्रतिस्थापन आवेदन पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। वादी की ओर से उक्त आवेदन पत्र के लगायत में भी दिनांक 11/02/2020 को |

आवेदन पत्र दाखिल किया गया। वादी की ओर से प्रविादी सं०—23 के मृत्यु के संबंध में रजि० रसीद नं०—205 दाखिल किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं०—23 की मृत्यु हो गयी है।

प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है कि वादी द्वारा 2014 में कौन सा/किसी प्रकार का आवेदन दाखिल किया गया था। परंतु प्रतिवादी द्वारा अपने उपरोक्त अभिकथन के संदर्भ में कोई भी दस्तावेज नहीं दाखिल किया गया है। जिससे पता चलता है कि वादी द्वारा दिनांक 28.11.2014 में किसी अन्य प्रकार का आवेदन दाखिल किया है तथा वादी द्वारा लाए गए आवेदन के विपरीत अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है तथा वादी द्वारा 2014 में दाखिल आवेदन की छायाप्रति जिस पर शपथ—पत्र उसी दिन का उपलबध है।

अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक वाद पत्र से प्रतिवादी सं०—23 का नाम विलोपित कर उनके कानूनी वारिशानों का नाम वाद पत्र के प्रतिवादी सं०—23 के क्रम में जोड़े। वादी नवांकित प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु सम्मन का जरूरीयात दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय दोनों प्रोसेस से सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक 13.5.22 वास्ते प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश, द्वितीय
पटना सिटी